Crim-I

FORM No. IH

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बयाना

मंगुल बनाम स्टेट आदि रा०

किस्म मुकदमा प्रा० पत्र धारा 251ए Act नं. सन् 163/2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01/10/2020	प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थी को नोटिस जारिए जवाब का पत्रावली दिनांक 12/10/2020 को पेश हो।	
12/10/20	प्रकरण पेश हुआ। प्रार्थी व पेशकार सरकार उपस्थित। पेशकार सरकार प्रार्थना पत्र का जवाब देना नहीं चाहते हैं। बहस उभय पक्ष की सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 19/10/2020 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बयाना (भरतपुर)	
19/10/2020	प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र स्वागत बाबत पेश कर निवेदन किया कि साबिक आ० ख० नं० 309 रकबा 6 बिस्वा वाके ग्राम सूपा तहसील बयाना स्थित है। दौराने सैटलमेन्ट उक्त आराजी के नवीन ख० नं० 388 रकबा 0.05 हे० बनाया गया। उक्त आराजी प्रार्थीनी को विरासत से प्राप्त हुई है। आ० ख० नं० 388 रकबा 0.05 हैक्टेयर ग्राम सूपा तह० बयाना में प्रार्थीनी के पिता स्व० बृजलाल ने अपने जीवन काल में अपनी शेष जमीन की सिंचाई हेतु खातेदारी कब्जा काश्तकारी की उक्त आराजी में चाह पुख्ता (कुआं) का निर्माण कराया था जिसका उपयोग उपभोग प्रार्थीया ने अपने पिता [illegible] जीवन काल से लेकर आज तक काबिज रहकर [illegible] उपयोग किया है। और [illegible] प्रार्थीया के पिता ने कुआं का निर्माण कराया [illegible] व [illegible] जिन्स रखने हेतु गोरवाड़ा व रहने के लिए पुख्ता मकान का निर्माण किया था। प्रार्थीया अपने	

उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Arya
Date: 2021.01.19 16:26:19 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो ड़[illegible] हुक्म की ता[illegible] में जारी हुए

पिता के जीवन काल से लेकर पचासों वर्षों से विरासत में होती हुई आराजी की डेयलाग समय नु पर करती चली जा रही है। दिनांक 24/08/2020 को तहसीलदार बयाना द्वारा उक्त आराजी से सम्बन्धित भू-राजस्व अधि० 1956 की धारा 91 का नोटिस प्रार्थिया को जारी किया गया। जिस पर प्रार्थिया दिनांक 10/9/2020 को अदालत तहसीलदार बयाना के समक्ष पेश हुईं तब इस बात का ज्ञात हुआ कि राजस्व कर्मचारियों की सहवन गलती से ख०नं० 388 रकबा 0.05 है० गैर मुमकिन चार को राज्य सरकार की खातेदारी में दर्ज कर दिया, जो खिलाफ मौका व कानून है। सम्वत 2012 में उक्त आराजी प्रार्थिया के पिता हजलाल पुत्र गौरे के नाम थी, सम्वत 2016 में भी यह आराजी प्रार्थिया के पिता के नाम दर्ज थी किन्तु सम्वत 2016 के बाद राजस्व कर्मचारियों ने राज्य सरकार के नाम कर दी। अतः मैं प्रार्थना पत्र प्रार्थिया स्वीकार कर अप्रार्थी को उक्त आराजी ख०नं० 388 रकबा 0.05 हैक्टेयर स्थित मौजा खूपा तहसील बयाना से जबरन बेदखल कर नाजायज कब्जा नहीं करने बाबत आज्ञापक निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया है। अप्रार्थी द्वारा प्रार्थिया को दिनांक 14/09/2020 को जबरन बेदखल करने की नाजायज धमकी दी है, जिससे प्रार्थिया के हक में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

प्रकरण पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया। अप्रार्थी (पेशकार सरकार) स्वयं उपस्थित है व प्रार्थना पत्र का जवाब देना नहीं चाहते हैं। बहस आखिर Signature Not Verified [illegible] गई। एडवोकेट प्रार्थी Digitally signed by Sunil Arya [illegible] तथ्यों को दोहराते हुए Date: 2021.01.19 16:26:19 IST Reason: SelfAttested [illegible] या स्वीकार करने का निवेदन किया है।

पेशकार सरकार का तर्क है कि विवादित

उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर)

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए	तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

आ० रकबा न० 3801 रकबा 0.05 राज्य सरकार की राजकीय भूमी है। प्रार्थिया द्वारा राजकीय भूमी पर अतिचार कर अवैध कब्जा किया है। प्रार्थिया को राजकीय भूमी पर अतिक्रमण कर अवैध निर्माण से रोका जाना आवश्यक है। प्रार्थना पत्र प्रार्थिया खारिज करने का निवेदन किया है।

उभय पक्ष की बहस के उपरान्त हमने पत्रावली में संलग्न राजस्व अभिलेख जमा० 2075-78, जमा 2016 जमा 2020, मिलान खसरा (छाया प्रति) का गहनता से अध्ययन किया। विवादित आराजी की जमाबन्दी 2075-78 अनुसार राजकीय भूमी दर्ज अभिलेख है। एडवोकेट प्रार्थी द्वारा न्यायिक दृष्टान्त DNJ (RAJ) 2002(3) केशर मनवर व अन्य बनाम रा० सरकार पेज सं० 1135-1139 को भी गहनता से अध्ययन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त में आबादी परत का उल्लेख है जबकि इस प्रकरण में ऐसा कोई तथ्य या साक्ष्य नही है। अतः प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त यहा इस प्रकरण में चस्पा नही होते है। राजकीय भूमी दर्ज होने के कारण प्रार्थिया को विवादित आराजी से किसी प्रकार की दाखली दिया जाना सम्भव नही है। प्रथम दृष्टया कौन व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थिया के पक्ष में न होकर अप्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित है। प्रार्थना पत्र प्रार्थिया खारिज योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थिया खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नजरे से कम हो। बाद तकमील [illegible] दफ्तर दाखिल [illegible] [illegible] सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Arya
Date: 2021.01.19 16:26:19 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बयाना (भरतपुर)